न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – डॉ. कृति व्यास (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –36 / 2024

अनवान

रामदयाल पुत्र प्रभुलाल मीणा, जाति मीणा, उम्र बालिग, निवासी लुकट, गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. श्री प्रभु पुत्र नंदा भील, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम नगपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा

अप्रार्थीगण / विपक्षी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अर्जुन सिंह अभिभाषक वादी
श्री बलवीर सिंह अभिभाषक प्रतिवादी सं0 01
प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 12.11.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त खाते की जमीन ग्राम नगपुरा, प0ह0 गोपालपुरा, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 90 में खसरा संख्या 265, कुल रकबा 2.1600 है0 कुल लगानी 8.6400 कृषि आराजीयात खाते में वादी का 2/3 हिस्सा खाते नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर दोनों ही अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं होने के कारण आये दिन हकाई जुताई तथा बुवाई को लेकर मौके पर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य विवाद होता रहता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 को दिनांक 25.06.2024 को बंटवारा करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 01 ने बंटवारा करने से मना कर दिया इसलिए यह वादपत्र बंटवारा एवं घोशणा का न्यायालय श्रीमान् में पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में वादी द्वारा ग्राम नगपुरा की खाता संख्या 90 खसरा संख्या 265 रकबा 2.16है0 कृषि भूमि का वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 में मध्य अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का अपने अपने हिस्से अनुरूप बंटवारा किये जाने का आदेश प्रदान कर खातेदारी की घोषणा कर डिक्री जारी फरमाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब दावा पेश किया। जवाब अनुसार वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार होकर जवाब इस प्रकार है कि ग्राम नगपुरा की खाता संख्या 90 खसरा संख्या 265 रकबा 2.16है0 भूमि में मुझ प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा है तथा में उक्त जमीन में दक्षिण दिशा की ओर अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हूं। मेरे कब्जे को बरकरार रखते हुए बिना मुझे बेदखल किये में जहां काबिज हूं उसका बंटवारा कर दिया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 02 पेरोकार सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं कर वाद पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा इकबाले जवाब देने व 2 द्वारा वाद पत्र के खण्डन नही करने से वादपत्र [illegible].05.2025 को स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य ग्राम नगपुरा, पटवार हल्का गोपालपुरा, भू.अ.नि. [illegible] तहसील रावतभाटा की जमाबंदी संवत् 2076–79 की खाता संख्या 90 खसरा संख्या 265 रकबा 2.16है0 भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का उपरोक्त हक हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का प्राथमिक डिक्री किया जाकर कमिश्नर से मौके के विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:03 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कमिश्नर ने दिनांक 28.10.2025 को मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये। प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष की बहस सुनी प्राप्त प्रस्ताव से वकील उभय पक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं, प्राप्त प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुरूप होने से वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नगपुरा, प0ह0 गोपालपुरा, भू.अ.नि. बोराव तहसील रावतभाटा की जमाबंदी संवत् 2076–79 की खाता संख्या 90 खसरा संख्या 265 रकबा 2.16है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता हैः–

वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टियाँ

क्र. सं.	नाम खातेदार व विवरण	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1. 2.	प्रभू पुत्र नन्दा हिस्सा 1/3 जाति भील सा. देह खातेदार रामदयाल पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 2/3 जाति मीणा निवासी लुकट गोलाना जिला झालावाड खातेदार।	265	2.16	8.64
	योग	किता–1	2.16है0	8.64

प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार प्रविष्टियाँ				
क्र. सं.	खातेदारों के नाम व विवरण	आराजी संख्या	रकबा (है0)	लगान
1.	प्रभू पुत्र नन्दा हिस्सा 1/3 जाति भील सा. देह खातेदार	265	0.72	2.88
योग		किता–1	0.72	2.88
2.	रामदयाल पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 2/3 जाति मीणा निवासी लुकट गोलाना जिला झालावाड खातेदार।	265	1.44	5.76
योग		किता 01	1.44	5.76

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार अमल दरामद किया जावे। निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को सुनाया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे। नजरी नक्शा डिक्री का पार्ट रहेगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:03 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:03 IST
Reason: SelfAttested